न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 78/2023

प्रार्थीगण :–

1. पदमाराम पुत्र देरामाराम जाति कलबी, निवासी आसोतरा,
2. सांवलराम पुत्र देरामाराम जाति कलबी, निवासी आसोतरा, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. फुलचंद पुत्र सोहनराज जाति ओसवाल नि0 बालोतरा।
2. छगनकंवर पत्नी बृजपालसिंह
3. देवेन्द्रसिह पुत्र शोभसिंह
4. नरेन्द्र कंवर पुत्री हिम्मतसिंह
5. प्रेमकंवर पुत्री हिम्मतसिंह
6. निर्मलसिंह पुत्र शोभसिंह
7. प्रेमसिंह पुत्र शोभसिंह
8. बदनकंवर पत्नी हरदयालसिंह
9. भवानीसिंह पुत्र इन्द्रजीतसिंह नाबालिग जरिये सरंक्षक माता मेहता कंवर पत्नी इन्द्रजीतसिंह
10. मेहता कंवर पत्नी इन्द्रजीतसिंह
11. सुरजपालसिंह पुत्र बृजपालसिंह सभी जाति राजपूत नि0 जसोल, तह0 पचपदरा, जिला बाड़मेर ।
12. नगर परिषद बालोतर जरिये आयुक्त ।
13. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाडमेर ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:53 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व

नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश कुमार , प्रार्थीगण अधिवक्ता

2. विप्रार्थी संख्या 1 से 13 एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :– 10.7.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा जसोल, पटवार हल्का जसोल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जसोल , तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1008/4 रकबा 0.8337 हैक्टेयर में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया, विप्रार्थीगण बावजूद अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा [illegible] हल्का जसोल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जसोल , तहसील पचपदरा मे [illegible] 1008/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रकबा 0.8337 हैक्टेयर भूमि मे आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा जसोल, पटवार हल्का जसोल, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जसोल , तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1008/4 रकबा 0.8337 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे

हमने वकील प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा जसोल, पटवार हल्का जसोल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जसोल , तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1008/4 रकबा 0.8337 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:53 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जसोल, पटवार हल्का जसोल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जसोल , तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1008/4 रकबा 0.8337 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जांवे कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 10.07.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:53 IST
Reason: SelfAttested